अनुसूची –अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तन ील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउन्डअप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक								दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	2625.00	100.96	9125.00	350.90	351.00	अकुशल	6500.00	250.00	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00
7057.00	271.42	2925.00	112.50	9982.00	383.92	384.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00
8435.00	324.42	2925.00	112.50	11360.00	436.92	437.00	कुशल	8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00
9735.00	374.42	2925.00	112.50	12660.00	486.92	487.00	उच्चकुशल	9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00

स्पष्टीकरण–

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :– उपर्युक्त अनुसूची –क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियो एवं श्रमिको को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरों शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001–100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है । 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1–ए)

टीपः– न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट–अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट–ब में देखे।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर